



रजि0न0एल0डब्लू/एल0पी0890
लाइसेंस न0डब्लूपी0-41
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कन्सनल

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार व्दारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 18 मार्च, 2002

फाल्गुन 27, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-5

संख्या क0नि0-5-1383/11-2002-312(13)-97

लखनऊ, 18 मार्च, 2002

अधिसूचना

प0आ0 40

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं0 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम सं0 16 सन् 1908) की धारा 5 और धारा 7 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी पूर्ववर्ती सरकारी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल जिला श्रावस्ती में उपजिला पयागपुर और उपनिबंधक कार्यालय, पयागपुर को उत्सादित करते हैं। और इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से,

- (क) राजस्व उपजिला पयागपुर के क्षेत्र को अपवर्जित करके जिला श्रीवस्ती की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं।
(ख) राजस्व उपजिला पयागपुर के क्षेत्र को सम्मिलित करके जिला बहराइच और उपजिला बहराइच की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं।

आज्ञा से
टी0जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव।